भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 222

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में कंपनी अधिनियम के तहत लंबित मामले

***222. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः**

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में वर्तमान में कंपनी अधिनियम के तहत कितने मामले लंबित हैं तथा इनके लंबित होने के क्या कारण हैं;
(ख) वर्तमान में एनसीएलटी में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवाला एवं दिवालियापन से संबंधित कितने मामले लंबित हैं तथा उनके शीघ्र समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने एनसीएलटी में लंबित मामलों विशेषकर कारपोरेट और दिवाला संबंधी मामलों की संख्या कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो इन उपायों से क्या परिणाम हासिल हुए हैं; और
(घ) इन लंबित मामलों का 'व्यवसाय करने में सुगमता' सूचकांक में भारत की रैंकिंग तथा इसके निवेश के संपूर्ण माहौल पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ):- विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>दिनांक 17.03.2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।</u>

(क) से (ग): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31.12.2024 तक कंपनी अधिनियम और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

कंपनी अधिनियम (क.अ.)	**दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी)**	**कुल**
8,133	12,351	20,484

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। एनसीएलटी में मामलों के लंबित रहने के कई कारण हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, इंटरलोक्यूटरी आवेदनों (आईए) की संख्या, कई मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा स्टे, हितधारकों के सहयोग और स्थगन पर निर्भर करते हैं।

शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए, सरकार निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठा रही है, जिसमें ई-कोर्ट और हाइब्रिड कोर्ट परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठियाँ, बुनियादी ढांचे का प्रावधान, रिक्तियों को भरना आदि शामिल हैं।

(घ) सरकार ने व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी) के अंतर्गत कई पहल की हैं, जिनका उद्देश्य अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना है। उपरोक्त के एक भाग के रूप में, विश्व बैंक द्वारा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2019 प्रकाशित की गई थी। उपरोक्त रिपोर्ट में दिवाला का समाधान करने में भारत का रैंक 52 था। 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के आरम्भ से भारत को महत्वपूर्ण लाभ हुआ, जिससे 2018 में 108 से 2019 में 56 स्थानों का सुधार हुआ और यह 52 रैंक पर पहुंच गया। विश्व बैंक ने सितंबर 2021 में अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) का प्रकाशन बंद कर दिया, जिसकी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में जारी की गई।

बी-रेडी (बिजनेस रेडी) परियोजना विश्व बैंक द्वारा पहले की डूइंग बिजनेस रैंकिंग की जगह लेने के लिए एक नई पहल है। बी-रेडी मूल्यांकन व्यवसाय घटनाक्रम के विभिन्न चरणों पर फोकस करते हैं, जिसमें व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट से निपटना और दिवाला समाधान करना शामिल हैं।

पहली बी-रेडी रिपोर्ट 3 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च की गई थी और भारत को परियोजना के तीसरे चरण में कवर किया गया है। भारत को कवर करने वाली रिपोर्ट सितंबर 2026 में आने की उम्मीद है।

आईबीसी 2016 दिवाला मामलों के न्यूनतम बैकलॉग को बनाए रखने में सहायक रहा है, जिससे भारत में ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में सुधार हुआ है तथा इसके समग्र निवेश माहौल में वृद्धि हुई है।

*****